प्रेस नोट

दीव की सुरक्षा पर उठाये गए कदम

आज 20 जनवरी, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे माननीय समाहर्ता एवं जिलाधीश श्री विनोद पी. कावले, भा.प्र.से. की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई । बैठक में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी उपस्थित रहे । दीव की सुरक्षा के मद्दे नजर दीव जिला के सभी निवासियों एवं पर्यटकों को कल से अपना फोटो-पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य होगा । सभी होटल, रेस्तरॉ, बार, गेस्ट हाउस, ओ.आई.डी.सी. दुकान आदि को निदेश दिया जाता है कि फोटो पहचान पत्र के बिना वे पर्यटकों या ग्राहकों को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध न करायें । यह नियम केवल गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ही, नहीं बल्कि हमेशा के लिए लागू होगा ।